

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेंद्र सोनी

आई.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

ओरिन्यटल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा
भूखण्ड संख्या 43, प्रथमतः, 10 वी ई
रोड, सरदारपुरा, जोधपुर

1. श्री टिकमाराम सोलंकी पुत्र श्री वेलाराम
2. वेलाराम सोलंकी पुत्र श्री कपूरजी निवासी धारदा
बेरा के सामने, सोलावाला बेरा, लेटा-बी, जालौर।

विविध प्रकरण संख्या

01/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-

1-श्री पृथ्वीराजसिंह कुम्भावत अधिवक्ता प्रार्थी

-:आदेश:-

दिनांक:-18.02.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण टिकमाराम सोलंकी पुत्र वेलाराम व अन्य के पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 8,40,000/ OD LOAN सुविध उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्री टिकमाराम पुत्र श्री वेलाराम का दुकान भाग प्लोट संख्या 32 (बनाप 264 वर्गफीट), के. एन. कम्प्यूटर्स रघुरतन पैलेस पुलिस लाईन के सामने जगदम्बा अस्पताल के पास जालौर के स्वामित्व का आया हुआ है को प्रार्थी बैंक को रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि में मय व्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अन्तर्गत अप्रार्थीगण नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय व्याज दिनांक 31.01.2019 तक 7,37,764/रुपये का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन / हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भालने हेतु यह प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 8,40,000/ OD LOAN की सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 31.01.2019 तक 7,37,764/रुपये बसूल किये जाने है अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सदर्थ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री टिकमाराम सोलंकी पुत्र श्री वेलाराम का दुकान भाग प्लोट संख्या 32 (बनाप 264 वर्गफीट), के. एन. कम्प्यूटर्स रघुरतन पैलेस पुलिस लाईन के सामने जगदम्बा अस्पताल के पास जालौर जो बैंक के पक्ष में प्रतिभूति रूप में रखी गई उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकार होने से संबंधित पुलिस अधीक्षक, जालौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपत्तियों के संबंध में थानाधिकारी, को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया

Sd/-
(महेंद्र सोनी)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालौर

